अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

04 20.02.2024	**न्यायालय, उपायुक्त, रॉची** एस० ए० आर० अपील वाद सं० 76 आर० 15/2023–24 1. कमल किशोर कच्छप पिता स्व० माधो कच्छप उर्फ माधो उरॉव निवासी अलबर्ट कम्पाउण्ड, पत्थलकुदवा, थाना लोअर बजार, जिला रॉची 2. कमलेश कच्छप पता स्व० माधो कच्छप उर्फ माधो उरॉव निवासी अलबर्ट कम्पाउण्ड, पत्थलकुदवा, थाना लोअर बजार, जिला रॉची .... अपीलकर्त्ता बनाम् ग्रेगोरी बादल बाखला पिता स्व० नोएल बाखला निवासी अलबर्ट कम्पाउण्ड, पत्थलकुदवा, थाना लोअर बजार, जिला रॉची .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत अपील, अपीलकर्त्ता ने विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची के द्वारा एस०ए०आर० वाद सं० 276/11–12 मे दिनांक 17.10.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची ने मौजा कोनका, थाना सं० 198, जिला रॉची के खाता सं० 09, प्लॉट सं० 80, रकबा 4 कट्ठा मधे रकबा 1 कट्ठा 14 छटाक 4 वर्ग फीट अर्थात 3.20 डिसमिल भूमि का निष्पादन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के द्वितीय परन्तुक के तहत्त करते हुए तीन माह के अन्दर उत्तरवादी को विवादित भूमि के आसपास यथा स्थिति सम भूमि उपलब्ध कराने या प्रति डिसमिल रू० 1,80,000/– की दर से क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही यह भी आदेश दिया गया था कि निर्धारित अवधि में भूगतान नही होने पर जमीन स्वतः आवेदक को वापस समझी जायेगी। अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। एस०ए०आर० वाद सं० 276/11–12 मे दिनांक 17.10.2013 को पारित	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

आदेश के खिलाफ अपीलकर्त्ता ने प्रस्तुत अपील लगभग 10 वर्षो के उपरान्त दायर किया है। अपील दायर करने मे हुए विलंब को क्षांत करने हेतु अपीलकर्त्ता के द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्त्ता विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सम्पूर्ण कार्यवाही मे सम्मिलित हुए तथा उनकी ओर से उक्त वाद मे बहस भी किया गया। अपीलकर्त्ता के अनुसार एस०ए०आर० वाद सं० 276/11–12 मे दिनांक 17.10.2018 पारित आदेश के संबंध मे उन्हे कोई सूचना प्रदान नही किया गया। इस संबंध मे लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत दायर आवेदन मे उनके द्वारा आदेश की जानकारी प्राप्त करने से संबंधित कृत प्रयासों के बारे मे कोई उल्लेख नही किया गया है। अपील दायर करने मे हुए विलंब को क्षांत करने हेतु अपीलकर्त्ता के द्वारा कोई ठोस कारण या प्रमाण प्रस्तुत नही किया है साथ ही निम्न न्यायालय का पारित आदेश का अनुपालन ससमय पर नही किया गया है। इतनी लम्बि अवधि के उपरान्त दायर करने के कारण यह भी कालबाधित एवं संधारणीय नहीं है। फलस्वरूप अंगीकृत करने योग्य नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील वाद को खारिज किया जाता है। विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची के द्वारा एस०ए०आर० वाद सं० 276/11–12 मे दिनांक 17.10.2013 को पारित आदेश को बहाल रखा जाता है।

इस आदेश की प्रति विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.03.11 03:26:52 -07:00
Location: 192.168.1.5